उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 29/2017/327/92-2-17-151(जांच)/2015

लखनऊ:: दिनांक:: 28 फरवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद फैजाबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के फेज-10 के पैकेज सं0-यू0पी0-13141 की निविदा को कूटरचित एवं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रिस्पॉसिव किये जाने आदि अनियमितताओं के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2016/199/92-2-16-151जांच/2015 दिनांक 29-01-2016 द्वारा श्री एम0के0 श्रीवास्तव, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,परिमण्डल-फैजाबाद के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता(प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0-लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत निर्माणाधीन कार्यो के क्रियान्वयन में बरती जा रही शिथिलता/अनियमितता करने वाले अधिकारी/कर्मचारी पर कार्यवाही के संबंध में शासन स्तर पर समीक्षा की गयी तथा प्रश्नगत योजना के अंतर्गत बरती जा रही शिथिलता, लापरवाही एवं गम्भीर अनियमितताओं के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-82 /2016/2063/92-2-16-151जांच/2015 दिनांक 22-12-2016 द्वारा अपचारी अधिकारी, श्री एम0 के0 श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्व कर दिया गया।

3- रिट याचिका संख्या-58127/2016 मुकुन्द कुमार श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद बेंच इलाहाबाद के आदेश दिनांक 08-12-2016 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में जॉच अधिकारी परिवर्तित किये जाने के संबंध में दिये गये निर्देशों के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-15/2017/40/92-2-17-151जांच/2017 दिनांक 09-01-2017 द्वारा जॉच अधिकारी परिवर्तित करते हुये मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के स्थान पर श्री आर0सी0 बर्नवाल, प्रमुख अभियंता (ग्रामीण मार्ग) लोक निर्माण विभाग को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

4- रिट याचिका संख्या-549/2017 मुकुन्द कुमार श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद बेंच इलाहाबाद द्वारा दिनांक 11-01-2017 को निम्न आदेश पारित किये गये है :-

" Having considered the submissions and in the interest of both the parties we dospose of this petition with the following directions :-

(1) The enquiry pending against the petitioner shall be concluded within a period of three months from the date of production of certified copy of this

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

order in accordance with law. It goes without saying that the petitioner shall extend all cooperation in the enquiry.

(ii) The suspension order dated 22-12-2016 shall remain in abeyance till the final decision after the conclusion of the enquiry is taken by the Disciplinary Authority.

मा0 उच्च न्यायलाय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 11-01-2017 के अनुपालन में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री एम0के0 श्रीवास्तव, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद सम्प्रति परिमण्डल-चित्रकूट बॉदा (निलम्बित) को तत्कालिक प्रभाव से इस शर्त के साथ एतदद्वारा सेवा में बहाल किया जाता है कि उनके विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29-01-2016 द्वारा संस्थित प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही यथावत प्रचलित रहेगी।

5- उक्त बहाल के पश्चात श्री एम0के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, की तैनाती के आदेश अलग से निर्गत किये जायेगे।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या- 29/2017/327(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री एम0के0 श्रीवास्तव, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता,ग्रा0अभि0वि0,परिमण्डल-फैजाबाद सम्प्रति कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in